कृषि साख का पुनर्गठन :-
(reorganization of agricultural credit)

इस प्रकार भारतीय कृषि के लिए साख का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, किन्तु कृषि-साख की वर्तमान व्यवस्था विभिन्न दोषों से परिपूर्ण है, अतएव इसका पुर्नसंगठन अनिवार्य है। ग्रामीण साख-सर्वेक्षण (All India Rural Credit Survey) समिति के अनुसार ग्रामीण साख का प्रधान उद्देश्य कृषि की उपज में वृद्धि होना चाहिए। इसे किसानों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं - दीर्घ, मध्यम तथा अल्पकालीन की पूर्ति करनी चाहिए। (Rural credit must be directed principally towards improved production to meet long, medium as well as short term needs. It must be supervised, it must be available to all who are credit-worthy and at a moderate rate of interest. Obviously, in the village, no form of credit organisation will be suitable except the co-operative societies. Co-operatives have failed, but co-operation must succeed.) ग्रामीण साख सर्वेक्षण के इस बयान से भारतीय ग्रामीण साख के पुनर्संगठन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।

सरकार भी आज कृषि-साख के पुनर्संगठन के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य से समय-समय पर बहुत-सी समितियों की नियुक्ति भी की गयी जिन्होंने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उदाहरण के लिए, गाडगिल समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में एक कृषि-साख निगम (Agricultural Credit Corporation) की स्थापना की सिफारिश की थी। कृषि-सुधार समिति ने इस संबंध में यह बतलाया था कि सहकारी समितियों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा अल्प एवं

Scanned by CamScanner

दीर्घकालीन कर्ज की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से कृषि-साख समितियों (PACS) को संगठित करने पर जोर दिया जा रहा है।

भारत में कृषि-साख के पुनर्संगठन के उद्देश्य से 1950 ई० में "ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति" (Rural Banking Enquiry Committee) ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे।

(क) समिति के अनुसार ग्रामीण ऋण को कम करना ~~नहीं~~ निस्सन्देह आवश्यक है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में कृषि-साख संस्थाओं का निर्माण ही अधिक महत्वपूर्ण है। अतः इन्हें प्राथमिकता प्रदान करना नितांत आवश्यक है। किंतु, देश के विभिन्न भागों में कृषि-साख समस्या का स्वरूप एक समान नहीं है, अतः भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋण देनेवाली संस्थाओं में भी विभिन्नता पायी जाती है। फिर भी, इनका संगठन यथासम्भव सहकारिता के आधार पर ही होना चाहिए।

(ख) समिति ने व्यावसायिक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की सिफारिश की थी। ऐसा करने से ये बैंक ग्रामीण जनता तक पहुँच सकते हैं। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक द्वारा सस्ती दर पर इन्हें सहायता देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। 1969 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ है। साथ ही, 1975 से एक नयी संस्था Regional Rural Banks की स्थापना की गयी है। इस समय देश भर में 196 ग्रामीण बैंक हैं जिनकी प्रायः 14,500 शाखाएँ 23 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही।

(ग) समिति के अनुसार ग्रामीण साख प्रदान ~~करने~~ करने के क्षेत्र में सहकारी समितियों को ही अधिकाधिक प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

(घ) किसानों को दीर्घकालीन सारत प्रदान करने के उद्देश्य से समिति के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में जहाँ इनका अभाव है, इनकी संख्या में वृद्धि नितांत आवश्यक है।

Scanned by CamScanner